न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा (जिला–शाहपुरा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 83/2025
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/123

मु0 धन कंवर पत्नी हनुमान सिंह राजपूत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थीया

<u>बनाम</u>

1– लक्ष्मण पिता जोधा कुमावत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– निर्मल पिता मिठू दमामी निवासी तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– लादु पुत्र मोहन शर्मा निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– कान्डा पिता बरदा कुमावत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– महावीर पिता रघुनाथ कुमावत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– लादु पिता धूला कुमावत निवासी सुरजपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : **01-07-2025**

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीया

::– निर्णय –::

दिनांक : **20-08-2025**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि **ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 277/675 रकबा 0.10 है0, 349 रकबा 0.36 है0, 350/676 रकबा 0.15 है0, 351 रकबा 0.24 है0, 352 रकबा 0.24 है0, 353 रकबा 0.11 है0, 354 रकबा 0.01 है0, 355 रकबा 0.26 है0, 488/699 रकबा 0.18 है0, 517 रकबा 0.26 है0, 571/673 रकबा 0.04 है0, 805/356 रकबा 0.28 है0 कुल किता 12 रकबा 2.23 है0** कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदार की स्थित है। **उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीया दिनांक 04.01.2025 को अपनी आराजियात पर गई तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया।** इस प्रकार प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः **ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 12 रकबा 2.23 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु** न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 **2, 4 से 6** बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण **सं0 1, 2** के विरूद्ध अभिभाषक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

आज दिनांक **20-08-2025** को बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 277/675 रकबा 0.10 है0, 349 रकबा 0.36 है0, 350/676 रकबा 0.15 है0, 351 रकबा 0.24 है0, 352 रकबा 0.24 है0, 353 रकबा 0.11 है0, 354 रकबा 0.01 है0, 355 रकबा 0.26 है0, 488/699 रकबा 0.18 है0, 517 रकबा 0.26 है0, 571/673 रकबा 0.04 है0, 805/356 रकबा 0.28 है0 कुल किता 12 रकबा 2.23 है0** का अभिलिखित खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। **विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है।** अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** करते हुए **ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा** में स्थित प्रार्थीया की उक्त **खातेदारी** की आराजियात में से **आराजी नम्बर 277/675 रकबा 0.10 है0, 488/699 रकबा 0.18 है0, 805/356 रकबा 0.28 है0** की किस्म **गेमु. मोरी, गेमु. बाहला, गेमु. सड़क** होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता **9** रकबा **1.67 हैक्टेयर** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीया के खर्चे पर प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीया की खातेदार आराजी **ग्राम सुरजपुरा प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 349 रकबा 0.36 है0, 350/676 रकबा 0.15 है0, 351 रकबा 0.24 है0, 352 रकबा 0.24 है0, 353 रकबा 0.11 है0, 354 रकबा 0.01 है0, 355 रकबा 0.26 है0, 517 रकबा 0.26 है0, 571/673 रकबा 0.04 है0** किता **9** रकबा **1.67 हैक्टेयर** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीया की आराजी का प्रार्थीया के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **20-08-2025** को सरे इजलास सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

सहायक कलेक्टर एंव
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा